संख्या 10 /2020/395/छिहत्तर-1-2020-01 बैठक/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 17 फरवरी, 2020

विषय-राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के कियान्वयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1183/अड़तीस-5-2016- 27सम/2012 दिनांक 20 जुलाई, 2016, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के कियान्वयन हेतु मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये थे। सम्प्रति नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के गठनोपरान्त विभाग के अन्तर्गत राज्य ग्रामीण पेयजल योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना राज्य वित्त पोषित योजना है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का प्रभावी नियोजन, कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों में वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत कतिपय संशोधन किये गये हैं।

2- अतः योजनान्तर्गत पूर्व निर्गत इस संबंध में शासनादेश संख्या-1183/अड़तीस-5-2016-27सम/2012 दिनांक 20 जुलाई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों को निरस्त कर राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त (यथा संशोधित) 2020 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य सेक्टर से संचालित की जाने वाली राज्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 10 /2020/395 (1)/छिःत्तर–1–2020–01 योजना/2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
(2) स्टाफ ऑफीसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(7) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(8) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
(9) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पी0सी0एल0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(10) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(11) महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी मण्डल, झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
(12) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(13) जिला विकास अधिकारी/ जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश(द्वारा जिलाधिकारी)।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 10/2020/395/छिहत्तर-1-2020-1 योजना/2016
दिनांक 17 फरवरी, 2020 का संलग्नक

क्र0 सं0	नाम	राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त (यथा संशोधित) 2020
1	उद्देश्य	प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराया जाना। विशेष रूप से ए0ई0/ जे0ई0एस0/ गुणता प्रभावित चिन्हित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाना है। उक्त के अतिरिक्त फ्लोराइड तथा आर्सेनिक से प्रभावित जल स्रोतों को भी वरीयता में सम्मिलित किया जायेगा।
2	वित्तीय व्यवस्था	योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था के अधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वित्त पोषण राज्य सेक्टर के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित होने वाली ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का चयन यथा सम्भव बजट प्राविधान कराने के पूर्व कर लिया जायेगा, ताकि आगामी बजट में विवरण सहित समुचित व्यवस्था करायी जा सके। अपरिहार्य परिस्थितियों में एकमुश्त बजट प्राविधान होने की दशा में बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के आलोक में योजनाओं का चयन समयबद्ध ढंग से इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जा सके।
3	योजना का आच्छादन	योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों के लिए पूँजीगत/ राजस्व कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध हो सकेगी :- **(पूँजीगत कार्य)** 1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को 'जल जीवन मिशन' पूर्व नाम 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के अन्तर्गत निर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना। विशेष रूप से ए0ई0/ जे0ई0एस0/ गुणता प्रभावित चिन्हित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना। दिशा-निर्देशों में उल्लिखित मानकों के अनुसार पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना।

		2. गुणता प्रभावित बस्तियां में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक पेयजल शोधन संयंत्रों की स्थापना।
		3. पेयजल स्रोत निरन्तरता हेतु जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य।
		4. ग्रामीण पेयजल समस्या के समाधान हेतु अन्य कोई विशिष्ट कार्य जिसे शासन आवश्यक समझे।
		(राजस्व मद) 1. पेयजल योजनाओं की स्थापना एवं उनके रख–रखाव हेतु समुदाय एवं ग्राम पंचायत से राज्य मुख्यालय स्तर तक कार्मिकों / पदाधिकारियों का क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
		2. पेयजल के क्षेत्र में अभिनव तकनीक का प्रयोग, आर0 एण्ड डी0 गतिविधियां, प्रचार–प्रसार/ आई0ई0सी0 गतिविधियां, विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करना (सेवा प्रदाता के माध्यम से)
4	**नोडल एजेन्सी**	राज्य स्तर पर 'राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन' नोडल एजेन्सी होगी।
5	**परियोजनाओं का चयन/ मूल्यांकन / परीक्षण / स्वीकृति**	1. योजनान्तर्गत परियोजनाओं के चयन हेतु आवश्यक प्रस्ताव राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा
		2. उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/ आगणनों का समय–समय पर जारी एवं तत्समय प्रवृत्त अद्यतन शासनादेशों/ प्राविधानों के अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तकनीकी–वित्तीय परीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात् उक्त आगणनों /प्रस्तावों को शासन में मूल्यांकन / परीक्षण/ वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं का चयन/ स्वीकृति शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति 'राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति' द्वारा किया जायेगा। उक्त गठित समिति में निम्नवत सदस्य एवं सदस्य सचिव नामित है :–

		अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त/ नियोजन /सिंचाई/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / पंचायती राज/ कृषि/वन/ग्राम्य विकास विभाग, आयुक्त ग्राम्य विकास, प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम, स्टेट टेक्निकल एजेन्सी, यूनीसेफ के प्रतिनिधि, योजना से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी सदस्य के रूप में तथा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
		3. योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं तत्समय प्रवृत अद्यतन शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था/प्रकिया के अनुसार की जायेगी।
		4. योजनान्तर्गत कार्यों को सम्पादित करने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी, ताकि जनमानस की अपेक्षानुसार कार्य सम्पन्न हो सके।
		5. राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के समस्त कार्य इसी योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये जायेंगे। पूर्व में किसी अन्य कार्यकम से वित्त पोषित कोई भी कार्य/ परियोजना राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित नहीं किया जायेगा।
		6. योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन सम्बन्धित प्रस्तावों (पूंजी मद तथा राजस्व मद) का परीक्षण कर अन्य स्रोतों/ कार्यक्रमों में उपलब्ध धनराशि से न प्रस्तावित किये जाने की पुष्टि करायी जायेगी तथा पूँजी मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में निम्न सूचना का समावेश कर प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे :-
		(1) प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है और यदि स्वीकृत है तो अन्य स्रोतों से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
		(2) कार्य के सम्बन्ध में संस्तुति।
		(3) आगणन के मूल्यांकन की स्थिति।
		(4) परिसम्पत्ति के मूल्यांकन सृजन के उपरान्त रख-

		रखाव की वचनबद्धता।
		(5) संचालन व्यय को वहन किये जाने की पुष्टि।
		(6) योजना के कार्य का मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित होना।
		(7) परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ ही कार्यदायी संस्था से उनके हस्तांतरण कराये जाने की वचनबद्धता।
6	आगणनों की तकनीकी स्वीकृति	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व आगणनों/ अनुमानों पर यथाविधि सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7	स्वीकृत धनराशि को रखे जाने एवं कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार की गयी समय-सारणी एवं आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण कर कार्यदायी संस्था को व्यय हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
8	कार्यों का आगणन	योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के आगणन, अधिकृत कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त, गठित कराये जायेंगे, ताकि गठित आगणनों के पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े। तदर्थ रूप से गठित आगणनों को योजना के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9	आगणनों के मानक	योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के आगणन के मानक सामान्यतया ' जल जीवन मिशन' के मानकों के अनुसार होंगे। यदि कोई योजना इसके अन्तर्गत आच्छादित नहीं होती है तो इस पर तकनीकी परीक्षण के उपरान्त प्राप्त संस्तुति/ आख्या पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
10	कार्यों की प्राथमिकता	योजना में लिए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।
11	प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व	इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता- नियंत्रण का कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा सुनिश्चित कराये जायेंगे।
12	परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण	योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियां नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा निर्गत एवं तत्समय प्रवृत्त 'उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति हेतु कार्यक्रम/ योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण

		नीति के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण करने/ कमिशनिंग के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जायेगी।
13	परिसम्पत्ति का संचालन एवं अनुरक्षण	योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का संचालन एवं अनुरक्षण नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जारी एवं तत्समय प्रवृत्त संचालन एवं अनुरक्षण नीति/ शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
14	प्रशासनिक/ आकस्मिक व्यय तथा सेन्टेज चार्ज	किसी कार्य विशेष को सार्वजनिक उपक्रमों से कराये जाने की स्थिति में समय-समय पर जारी वित्त विभाग के अद्यतन आदेशों के अन्तर्गत देय सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा। कार्यदायी संस्थाओं को नियमानुसार अनुमन्य सेन्टेज चार्ज से भिन्न किसी प्रकार का प्रशासनिक/ आकस्मिक व्यय देय नहीं होगा।
15	आडिट की व्यवस्था	योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का नियमानुसार आडिट वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित यथा प्रावधान के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित किया जाएगा।
16	अवशेष धनराशि यदि कोई हो	योजना के अन्तर्गत कार्य विशेष के लिये स्वीकृत की गई धनराशि में से कार्य पूर्ण होने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा। सुसंगत वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक अवश्यमेव राजकोष में जमा होने की पुष्टि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा की जायेगी एवं उक्त की सूचना नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग को दी जायेगी।
17	कार्यों की गुणवत्ता/ मूल्यांकन	कार्यों की विभागीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था, मण्डलायुक्त तथा जनपद के जिलाधिकारी को प्रभावी दिशा- निर्देश दिये जायेंगे। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्यो का भौतिक सत्यापन कराकर मूल्यांकन कराया जायेगा। साथ ही थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी कराया जायेगा।
18	मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत / कियान्वित कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पाक्षिक रूप से की जायेगी। मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अपनी पर्यवेक्षण आख्या सहित नमामि गंगे तथा ग्रामीण

		जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
19	पारदर्शिता	योजनान्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रदर्शित किये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर सूचना प्रबन्धन तकनीक (एम0आई0एस0) का प्रयोग किया जायेगा ताकि योजनान्तर्गत समस्त सूचनाएँ जन सामान्य हेतु उपलब्ध रहें। साथ ही नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का पोर्टल विकसित कर प्रतिमाह प्रगति एवं फोटोग्राफ भी अपलोड किया जायेगा।
20	कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	शासन स्तर पर गठित समिति से परीक्षण एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी /वित्त विभाग तथा अन्य सम्बन्धितों को प्रेषित की जायेगी।
21	शिथिलीकरण	योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किसी प्रकार का संशोधन / शिथिलीकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।